राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
66वीं बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2018
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **66वीं बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2018** को श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता तथा मुख्य अतिथि श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड, की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। श्री सुचिन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अमित सिंह नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, श्री पंकज पाण्डेय, सचिव (प्रभारी), उत्तराखंड शासन, श्रीमती तारिका सिंह, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, नाबार्ड, श्री आलोक कुमार चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री अजीत ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं शासकीय विभागों के उच्चाधिकारियों, समस्त बैंकों के नियंत्रक तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों / एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गयी।

इस बैठक में निम्नानुसार बिंदुवार सार्थक चर्चा की गयी :

2000 से कम जनसंख्या वाले गाँवों को क्लस्टर / एस.एस.ए. आधार पर बैंकिंग सुविधायें प्रदान करना :

2000 से कम की आबादी वाले गाँवों में एस.एस.ए. के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 642 एस.एस.ए. में कार्यवाही लम्बित है, जिसका विवरण निम्नवत है :

Name of Bank	Pending SSAs where B.C. has to be appointed	Name of Bank	Pending SSAs where B.C. has to be appointed
State Bank of India Dehradun Module -147 Haldwani Module - 226	373	Bank of India	12
		Syndicate Bank	05
		Vijaya Bank	01
Punjab National Bank	112	Corporation Bank	07
Bank of Baroda	18	Bank of Maharashtra	01
Oriental Bank of Commerce	10	Dena Bank	01
Union Bank of India	16	Uttarakhand Gramin Bank	20
Canara Bank	01	Co-operative Bank	16
Central Bank of India	04	Nainital Bank	13
Punjab and Sind Bank	15	UCO Bank	11
Allahabad Bank	02	Indian Overseas Bank	04

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा उक्त विषय में निर्देशित किया गया कि सभी बैंक उन सभी एस.एस.ए., जहाँ कनेक्टिविटी उपलब्ध है, में बी.सी. की नियुक्ति कर शीघ्र बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें, जिसकी समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की सितम्बर, 2018 त्रैमास की बैठक में की जाएगी। अत: सभी बैंक इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने सुझाव दिया कि बी.सी. की नियुक्ति के संबंध में सभी बैंक जिला स्तर पर कार्यरत ग्राम्य विकास विभाग से संपर्क करें साथ ही ऐसे व्यक्ति जो सेना से सेवानिवृत्त हैं एवं अपनी आय को बढ़ाने के इच्छुक हैं, को बी.सी. के रुप में नियुक्त किया जा सकता है।

सभी अग्रणी जिला प्रबंधक जिले की डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. की बैठक में जिलाधिकारी महोदय के साथ संबंधित एस.एस.ए. में बी.सी. नियुक्त करने विषयक विस्तृत रुप से चर्चा करें, जिससे कि जिला प्रशासन के सहयोग से बी.सी. की नियुक्ति संभव हो सके।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड ने बैंकों से अनुरोध किया कि सभी बैंक बी.सी. नियुक्त करने की कार्य प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक अंतराल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि वास्तविक प्रगति एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड के पोर्टल पर अपलोड एवं सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जा सके।

<u>डिजीटल बैंकिंग - AADHAR PAY / BHIM / ATM / POS / VSAT / e-PAYMENT / INTERNET BANKING के माध्यम से लेन-देन को प्रोत्साहित करना</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड़ को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में डिजीटल ट्रान्जेक्शन की प्रगति की समीक्षा गत त्रैमास के सापेक्ष तुलनात्मक रुप से प्रस्तुत की जाए।

<u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि 111 लम्बित वी.-सैट स्थापित करने के लिए आपूर्तिकर्ता **" M/s Huge Company"** को उपकरणों के आयात संबंधित समस्या होने के कारण वी.-सैट की **delivery** एवं **installation** में विलम्ब हो रहा है तथा नवम्बर, 2018 तक वी.-सैट स्थापित करने का कार्य पूर्ण होना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित बैंकों के द्वारा वी.-सैट स्थापित करने का कार्य लम्बित है।

बैंक का नाम	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या	बैंक का नाम	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या
पंजाब नेशनल बैंक	22	इण्डियन ओवरसीज बैंक	01
बैंक ऑफ बड़ौदा	04	बैंक ऑफ इण्डिया	03
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	02	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	08
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	01		

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे वी.-सैट स्थापित करने का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करें, जिसकी प्रगति समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी बैठक में की जाएगी।

<u>डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) - आधार सीडिंग व वित्तीय समावेशन</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा 81.09% आधार सीडिंग तथा पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में जारी किए गए रु-पे डेबिट कार्ड की वांछित प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा इसे शत प्रतिशत करने की अपेक्षा की गयी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड़ को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा गत त्रैमास के सापेक्ष प्रस्तुत की जाए। साथ ही बैंकों को निर्देशित किया कि वे शेष बचे हुए खातों में भी रु-पे डेबिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें तथा 62,132 अवितरित डेबिट कार्ड शीघ्र संबंधित खाताधारकों को वितरित करें।

<u>राज्य में आधार पंजीकरण केंद्र</u> :

राज्य में चिन्हित 230 आधार पंजीकरण केंद्रों में से 152 केंद्र स्थापित करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन बैंकों के द्वारा इस कार्य में की गयी प्रगति संतोषजनक नहीं है वे शीघ्र ही आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करना सुनिश्चित करें।

लम्बित आधार पंजीकरण केंद्रों का विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैंक का नाम	चयनित आधार सीडिंग केंद्र	कार्यरत आधार सीडिंग केंद्र	लम्बित आधार पंजीकरण केंद्र
1	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	29	17	12
2	नैनीताल बैंक	16	02	14
3	केनरा बैंक	14	05	09
4	सिंडिकेट बैंक	13	10	03
5	इण्डियन ओवरसीज बैंक	12	-	12
6.	यूको बैंक	10	05	05
7.	ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	07	02	05
8.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	04	02	02
9.	बैंक ऑफ इण्डिया	04	03	01
10.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	04	01	03
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	01	-	01

<u>प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना</u> :

सामाजिक सुरक्षा बीमा के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में और अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा अपेक्षा की गयी कि बी.पी.एल. का वार्षिक प्रीमियम राशि रु. 12/- के भुगतान हेतु शासन से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिस पर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि इस बिंदु पर शासन द्वारा सकारात्मक रुप से विचार किया जाएगा।

<u>वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> :

वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम त्रैमास हेतु निर्धारित मानक 15% के सापेक्ष जून, 2018 त्रैमास में 19% की प्राप्ति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे सितम्बर, 2018 की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्वितीय त्रैमास हेतु निर्धारित 40% के मानक को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में जून, 2017 त्रैमास के सापेक्ष जून, 2018 में लगभग रु. 300 करोड़ की कम प्रगति के कारणों का विश्लेषण करने को निर्देशित किया गया।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM INDIVIDUALS)</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग से कम संख्या में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करने का स्पष्टीकरण मांगा गया तथा निर्देशित किया गया कि सितम्बर, 2018 त्रैमास तक शत प्रतिशत आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही बैंकों को भी 195 लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के अविलम्ब निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उक्त योजना की प्रगति की निगरानी हेतु पोर्टल बनाने का सुझाव दिया गया।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> :

अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र समय पर बैंक शाखाओं को प्रेषित करें, जिससे कि बैंकों को ऋण संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का पर्याप्त समय मिल सके।

सभी बैंक एस.एल.बी.सी. विवरणी संख्या 18 में वर्णित ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिसकी प्रगति समीक्षा आगामी त्रैमास में की जाएगी।
(विशेष रुप से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक - 123 / भारतीय स्टेट बैंक - 75 / पंजाब नेशनल बैंक - 53 / बैंक ऑफ बड़ौदा - 30 / यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया - 30 / सहकारी बैंक - 26 / पंजाब एण्ड सिंध बैंक - 18 / नैनीताल बैंक - 17 एवं केनरा बैंक - 14)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि रुद्रप्रयाग जिले में स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत के बावजूद भी, उनके द्वारा बैंकों से संपर्क नहीं किया जा रहा है, जिससे कि स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण नहीं हो रहा है। अत: संबंधित विभाग जिला इकाई के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उचित निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें। साथ ही अनइच्छुक स्वयं सहायता समूहों के ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करने से पूर्व उनकी प्रथम दृष्टिया पूर्ण जाँच करें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उक्त योजना की प्रगति की निगरानी हेतु पोर्टल बनाने का सुझाव दिया गया।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) ऋण योजना</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए और अधिक व्यक्तियों को योजनांतर्गत लाभान्वित करने की अपेक्षा की गयी। संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गयी कि शिशु अथवा किशोर श्रेणी के ऋणियों को निश्चित सीमा के उपरांत निर्धारित ऋण सीमा को enhance कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :

उद्योग विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान वितरण के लक्ष्य रु. 29.75 करोड़ के सापेक्ष रु. 9.88 करोड़ की प्रगति संतोषजनक है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित समय सीमा में कर ली जाएगी। 10 सितम्बर, 2018 को पी.एम.ई.जी.पी. के ऑन-लाइन ट्रेकिंग सिस्टम के अनुरुप 1089 ऋण आवेदन पत्र बैंकों में लम्बित दिखाए गए हैं, जिसकी सूचना पृथक सॉफ्ट कॉपी में संबंधित बैंकों को 10 सितम्बर, 2018 को ही प्रेषित कर दी गयी है, जिनका निस्तारण 45 दिन की निर्धारित समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें।

<u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा कुल लक्ष्य 400 के सापेक्ष मात्र 67 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाने को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि वे आगामी त्रैमास तक शत प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सुझाव दिया कि संभावित क्षेत्रों में कैम्प आयोजित कर पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। संबंधित बैंक लम्बित 41 ऋण आवेदन पत्रों को सितम्बर, 2018 त्रैमास से पूर्व निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

<u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना</u> (पर्यटन विभाग) :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत ऋण आवेदन पत्रों के लम्बित होने का कारण नये भवन अथवा पुराने भवन के विस्तार हेतु ऋण के लिए **Conversion of Land Use** आवश्यक है, जब कि शासन के परिपत्र में वर्णित निर्देशानुसार सेक्शन 143 की बाध्यता प्रतिबन्धित है।

इस पर माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी ऋण आवेदन पत्र जिनमें भवन निर्माण / पुराने भवन के विस्तार की आवश्यकता नहीं है तथा ऋण राशि रु. 10.00 लाख से कम है, पर ऋण वितरण का कार्य तुरंत आरम्भ कर दिया जाए, जिससे कि योजना के अपेक्षित उद्देश्य के अनुरुप छोटे लाभार्थी लाभान्वित हो सकें। **सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित किया गया कि उक्त योजना में वैधानिक / तकनीकी समस्या के समुचित समाधान हेतु सभी हितधारकों एवं बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करें।**

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा पर्यटन विभाग को योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन प्रसारित करने तथा जिला स्तर पर कैम्प के माध्यम से ऐसी छोटी इकाइयाँ जिन्हें तुरंत स्थापित किया जा सकता है, के ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें। साथ ही यदि बैंकों से कोई इच्छुक व्यक्ति इस संदर्भ में संपर्क करता है, तो वह ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को संबंधित विभाग को प्रेषित कर सकते हैं।

<u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :

योजना के अंतर्गत वर्तमान त्रैमास में कुल 65 ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष रु. 18.55 करोड़ के ऋण वितरण की प्रगति के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस योजना में बैंकों को अपने स्तर से अधिक से अधिक प्रयास करने होंगे।

योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा की गयी प्रगति पर संतोष प्रकट किया। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को निर्देशित किया कि वे भी इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में ऋण वितरण करने हेतु समुचित रणनीति अपनाएं।

अध्यक्ष महोदय ने उप महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को निर्देशित किया कि वे स्टैण्ड अप इण्डिया की प्रगति में उनके द्वारा अपनायी गयी रणनीति को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के माध्यम से अन्य बैंकों के साथ साझा करें, जिससे कि अन्य बैंक भी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें।

अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा किसी एक लाभार्थी के ऋण प्रकरण लम्बित होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाया गया, जिसके विषय में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा श्री गुप्ता से आग्रह किया गया कि प्रभावित आवेदक का नाम, पता एवं संबंधित बैंक का नाम उपलब्ध कराएं, जिससे कि वास्तविक कारणों को जानने के बाद समस्या का निराकरण कराया जा सके।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा श्री गुप्ता से अपेक्षा की गयी कि वे नये उद्यमियों की सूची पूर्ण विवरण सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उन इकाइयों को वित्तपोषित करने हेतु संबंधित बैंकों को वांछित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा सके।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा स्टैण्ड अप इण्डिया में एस.सी. / एस.टी. की लाभार्थियों की कम संख्या की ओर इंगित करते हुए निर्देशित किया कि इस वर्ग के व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जाए।

<u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड ने संबंधित विभाग द्वारा लक्ष्यों के सापेक्ष कम आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया तथा विभाग को निर्देशित किया कि वह संभावित क्षेत्रों में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कैम्प लगाए जाएं तथा उक्त योजना में महिलाओं को भी विशेष रुप से शामिल किया जाए।

संबंधित विभाग द्वारा उक्त योजनांतर्गत कम ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करने के कारणों पर असहमति व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि क्षेत्र विशेष में कैम्प आयोजित करें, तथा स्थानीय बुनकरों विशेषकर महिला बुनकरों को ऋण लेने हेतु जागरुक एवं प्रोत्साहित कर योजना को सफल बनाने का प्रयास करें।

<u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> :

योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 2013 के सापेक्ष 389 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाने पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि 15 अक्टूबर, 2018 तक लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित सभी बैंक, उनके पास लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण सितम्बर, 2018 त्रैमास तक अनिवार्यत: पूरा कर लें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया कि प्रेषित / लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की बैंकवार / शाखावार सूची सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं, जिससे कि लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की उच्च स्तरीय प्रभावी निगरानी संभव हो सके। तथा विभागीय स्तर से भी ऋण आवेदन पत्रों की अनुवर्ती कार्यवाही की जाए।

<u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम इकाई के अंतर्गत दिए गए ऋणों पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही यह अपेक्षा की कि सेवा क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण वितरण के प्रयास किए जाएं। इसी संदर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड राज्य में आयोजित होने वाली Investors Meet में सभी प्रमुख बैंकों को आमंत्रित किया जाए, जिससे कि बैंकों द्वारा राज्य के निवेशकों को ऋण संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जा सके तथा इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाया जा सके।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना</u> (PMAY) :

योजनांतर्गत 1400 ऋण आवेदन पत्र शाखाओं में लम्बित हैं, जिसके लिए आय के प्रमाण एवं भूमि का पट्टे पर होना मुख्य कारण बताया गया है।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक के निर्देशानुसार EWS / LIG के ऋण आवेदनकर्ता, जिनकी वार्षिक आय रु. 5.00 लाख तक है तथा उनके पास आयकर विवरणी, फार्म - 16 उपलब्ध नहीं है, ऐसे आवेदनकर्ता से एक undertaking / Affidavit लिया जाना है। साथ ही पट्टे की भूमि फ्री होल्ड (Transferable Right) होने की स्थिति में भी ऋण वितरण किया जा सकता है। अत: उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर सभी बैंक अपने उच्च प्रबंधन से प्राप्त निर्देशानुसार सभी लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें। इसी अनुक्रम में भारत सरकार से प्राप्त अपडेट दिशानिर्देश सॉफ्ट कॉपी में बैंकों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> :

क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि फसल बीमा के अंतर्गत निम्नानुसार कृषकों को बीमा से आच्छादित किया गया है।

Total Covered Farmers	PMFBY		RWBCIAS		Pending for Uploading
	No. of insured farmers	Data uploaded	No. of insured farmers	Data uploaded	
142614	99508	89281	43106	41784	11549

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि लम्बित बीमित कृषकों का डाटा, विभाग द्वारा प्रेषित सूची के अनुरुप फार्मर्स पोर्टल पर दिनांक 15 सितम्बर, 2018 से पूर्व संबंधित बैंकों द्वारा अपलोड किया जाना है। बीमित कृषकों का डाटा यदि संबंधित बैंक द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो प्रभावित कृषक योजना से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, जिसकी जबावदेही संबंधित शाखा प्रबंधक की होगी।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा कुल बीमित किसानों के सापेक्ष पी.एम.एफ.बी..वाई. पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु लम्बित संख्या 11,549 के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया वे सभी बीमित कृषकों का डाटा फार्मर पोर्टल पर निश्चित समय सीमा के अंदर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न हों। माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. को निर्देशित किया गया कि बीमा दावों का शत प्रतिशत भुगतान करना सुनिश्चित करें।

<u>शिक्षा ऋण स्वीकृति की प्रगति</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा शिक्षा ऋण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही शिक्षा ऋण में एन.पी.ए. प्रतिशत की जानकारी चाही, जिससे कि योजना में दिए गए वित्तपोषण की सार्थकता की जानकारी हो सके।

<u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों (Allied Activities) जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फ्लोरीकल्चर एवं हार्टिकल्चर आदि में बैंकों द्वारा किए जा रहे वित्तपोषण पर संतोष व्यक्त किया गया तथा कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या, जो कि अन्य मद में 16265 दर्शायी गयी थी, के संदर्भ में निर्देशित किया कि यह स्पष्ट करें कि अन्य मद के अंतर्गत कौन-कौन से क्रियाकलापों हेतु ऋण दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने की निर्धारित सीमा को दृष्टिगत रखते हुए बैंक, राज्य सरकार के संबंधित विभागों के सहयोग से, कृषकों को कृषि संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों हेतु उनकी आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराएं।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए निम्न क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने की प्रबल संभावना है :

1. ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप (JLG)

2. डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम (DEDS) - इस योजना के अंतर्गत डेयरी उद्यम के अतिरिक्त अन्य 7-8 प्रकार की गतिविधियाँ उपलब्ध हैं, जिनके अंतर्गत वित्तपोषण करते हुए योजना के अनुदान का लाभ उद्यमियों को पहुँचाया जा सकता है।

3. एग्री क्लीनिक की स्थापना के लिए ऋण।

4. उत्तराखंड के बागवानों में सेब के पेड़ों की आयु अधिक होने के कारण नये प्लांटेशन हेतु ऋण वितरण का कार्य किया जा सकता है।

<u>ऋण-जमा अनुपात</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा राज्य के ऋण-जमा अनुपात 58% होने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात 40% से कम है, वे मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण-जमा अनुपात उप-समिति में विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से विशेषकर अर्ध शहरी क्षेत्रों में संभाव्यता के आधार पर नए क्षेत्रों / मदों में ऋण वितरण हेतु उपयुक्त कार्ययोजना बनाकर, उसे क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें तथा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण कराएं।

<u>गैर-निष्पादित अस्तियाँ (एन.पी.ए.)</u> :

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर-निष्पादित अस्तियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि बैंकों द्वारा विभिन्न खण्डों के ऋण खातों में एन.पी.ए. की स्थिति को मदवार दर्शाया जाए। उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि एस.एम.ई. में एन.पी.ए. में सुधार लाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें इकाइयों के सुधार, पुनर्जीवन एवं पुनर्गठन हेतु नीति के अनुरुप त्रैमासिक बैठकों में रुग्ण इकाइयों पर कमेटी द्वारा विस्तृत विचार किया जाएगा। मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि रुग्ण

इकाइयों के संदर्भ में वर्तमान में पॉलिसी उपलब्ध है, जिसके अनुरुप संबंधित उद्यमी को अपना ऋण प्रस्ताव संबंधित बैंक शाखा के द्वारा कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है।

<u>उत्तराखंड ग्रामीण बैंक - प्रतिवेदन</u> :

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों के वापस किए जाने के प्रतिवेदन संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा महाप्रबंधक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को निर्देशित किया गया कि बैंक द्वारा बंधक भूमि, जिसके एवज में ऋण प्रदान किया गया है, को बेचना धोखाधड़ी है तथा ऐसे प्रकरणों में बैंक द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए।

<u>मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा शासन से अनुरोध किया गया कि मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016 के अनुरुप राज्य के लिए एक लैण्ड लीज एक्ट बनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन एवं सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन को इस विषयक आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया।

<u>बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना</u> :

एन.आई.सी. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष दो तहसीलों (नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर / ख्यान्सु, जिला नैनीताल) में भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने का कार्य नवम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

<u>जिले में उद्यमियों की सफलता चर्चा</u> :

नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के सहयोग से नाबार्ड द्वारा पिथौरागढ़ जिले के एस.एस.ए. मनकटिया के अंतर्गत 13-14 गाँवों में वित्तीय समावेशन हेतु एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसमें सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं एवं उत्पादों को उपलब्ध कराने विषयक सर्वे करते हुए, उक्त सुविधाओं से वंचित लोगों को आच्छादित किया गया। माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा नाबार्ड द्वारा मनकटिया क्षेत्र में किए गए कार्य की सराहना की गयी।

नाबार्ड से अनुरोध है कि इस संबंध में प्रस्तुतीकरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त आरसेटी संस्थाओं से विभिन्न उद्यमियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर उद्यम स्थापित करने की सफलता वार्षिक पत्रिका में प्रेषित की गयी हैं।

<u>वित्तीय बाजार की जानकारियाँ</u> :

उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया कि वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को रोके जाने के उद्देश्य से State Level Co-ordination Committee का गठन किया गया है, जिसमें त्रैमासिक अंतराल पर समीक्षा की जाती है। साथ ही अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर.बी.आई. पोर्टल बनाया गया है, जिस पर शिकायतें दर्ज की जा सकती है।

<u>जनहित याचिका संख्या 105/2017 डा. गणेश उपाध्याय बनाम भारत संघ व अन्य के संबंध में</u>

इस बिंदु पर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य की आर्थिक स्थिति (Financial Discomfort) को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में ऋण माफी की योजना पर कार्य किया जाना व्यवहार्य नहीं है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक को सुझाव दिया कि राज्य में

किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक कार्ययोजना बनाकर, किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

<u>श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड</u> :

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि आज की बैठक में काफी सकारात्मक समीक्षा / चर्चा हुई तथा उनके द्वारा अपेक्षा की गयी कि बैंकों द्वारा उद्यमिता को विकसित करने हेतु विभिन्न श्रेणी के आवेदकों को वित्तपोषित किया जाए, जिससे कि रोजगार के अवसर सृजित हों। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि यदि कोई आवेदक सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यक्ष रुप से बैंक शाखा को प्रस्तुत करता है, तो बैंक प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करें।

बैंक एवं रेखीय विभाग समन्वय स्थापित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित वार्षिक ऋण योजना एवं अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के अंत में श्री अजीत सिंह ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अध्यक्ष, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं उपस्थित राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये तथा मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्यवाही की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने शासन से अनुरोध किया कि जिन खातों में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं, में बैंकों का सहयोग प्रदान करें।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा चलायी गयी प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कटिबद्धता व्यक्त की गयी।

****